

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-03/AMRUT-03-10/2016- 522 /न०वि०एवं०आ०वि० दिनांक- 19/11/16

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अन्तर्गत A&OE मद की राशि रू० 270.00 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख रू० मात्र) स्तम्भ-02 में अंकित नगर निकायों के नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :-


क्र०सं०	योजना का नाम	विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि (राशि लाख रू० में)
1	हाजीपुर	10.00
2	बक्सर	10.00
3	बेगूसराय	10.00
4	मुंगेर	10.00
5	आरा	10.00
6	बिहार शरीफ	10.00
7	दरभंगा	10.00
8	छपरा	10.00
9	जहानाबाद	10.00
10	बगहा	10.00
11	मोतिहारी	10.00
12	सिवान	10.00
13	औरंगाबाद	10.00
14	किशनगंज	10.00
15	सासाराम	10.00
16	कटिहार	10.00
17	पूर्णिया	10.00
18	डेहरी डालमियानगर	10.00
19	बेतिया	10.00
20	जमालपुर	10.00
21	सहरसा	10.00
22	भागलपुर	10.00
23	मुजफ्फरपुर	10.00
24	दानापुर निजामत	10.00
25	पटना	10.00
26	गया	10.00
27	बोधगया	10.00
	कुल	270.00

2. कुल स्वीकृत राशि ₹0 270.00 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख ₹0 मात्र) स्तम्भ-02 में अंकित नगर निकाय के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित राशि की विमुक्ति बुडा (BUDA) में रक्षित AMRUT योजना की राशि से RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
3. उक्त विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.) एक मुश्त नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर पुनः अगली किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।
4. इस राशि का उपयोग AMRUT की मार्गनिर्देश पुस्तिका की कंडिका 4.4 में दिये निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
5. इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, व्यावसायिकों को तथा सहायकों के भुगतान, ई-म्युनिसिपैलिटी से संबंधित गतिविधियाँ प्रारंभ करने, AMRUT Mission के लोगो और टैगलाईन को सभी परियोजनाओं पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने एवं स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों सहित मिशन के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने वाली संस्थागत व्यवस्था करने हेतु किया जायेगा।
6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पत्रांक-03/AMRUT-03-10/2016- 2564 /पटना, दिनांक- 18/11/16
प्रतिलिपि-उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव-सह-निदेशक।